

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2976

/15-1,

दिनांक, झांसी, अप्रैल, 01 -

2021

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग (भवन विंग),

झांसी।

विषय :- जनपद झांसी में झांसी-बबीना ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 (नया-44) के कि०मी० संख्या- 0.00 से 3.00 तक चौड़ीकरण/फोर लेन में प्रभावित 4.20 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 344 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक संख्या-1841/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/52116/2020, दिनांक 29.01.2021 एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/06/36/2021/एफ०सी०/1369 दिनांक 26.03.2021।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भ पत्र द्वारा जनपद झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 (नया-44) के कि०मी० संख्या-0.00 से 3.00 तक चौड़ीकरण/फोरलेन में प्रभावित 4.20 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 344 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है। आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें, जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके :-

शर्त संख्या-01 : Legal status of the forest land shall remain unchanged. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-02 : Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 09 ha. double degraded forest and in compartment No. 22, Beat No. 12 Saiyar, Tehsil Jhansi, District Jhansi, Jhansi Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-03 : The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-04 : The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.20 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 31.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09-05-2008 in LA No 566 un WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No-5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003. as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-03 एवं 04 : के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार आवश्यक धनराशि कैम्पा नई, दिल्ली के खाते में ई-पैमेन्ट के माध्यम से मदवार जमा कर जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव की आवश्यक धनराशि व प्रभावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार है।

शर्त संख्या	मद	धनराशि (लाख में)
शर्त संख्या-03	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सैंयर वन ब्लॉक कम्पार्टमेंट नं0-22, बीट नं0-12, कुल 09 हे0) एवं 10 वर्षों का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	2375559.00
शर्त संख्या-04	एन0पी0वी0 की (नेट प्रजेन्ट वैल्यू)	2629200.00
	योग	5004759.00

(पचास लाख चार हजार सात सौ उनसठ रू0 मात्र)

शर्त संख्या-05 : Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalizati on of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-06 : The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-07 : User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-08 : Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-09 : The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-10 : User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-11 : The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-12 : No labour camp shall be established on the forest land. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-13 : Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-14 : The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-15 : No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-16 : The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-17 : The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-18 : The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-19 : Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC date 19.01.2018. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-20 : Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-21 : All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>). इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-22 : The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>). इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

उक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी

जांसी वन प्रभाग, जांसी

पृष्ठांकन संख्या / अ / समदिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, जांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
जांसी वन प्रभाग, जांसी